भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2175

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

देश में विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय

2175 श्री वि. विजयसाई रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बलात्कार और पोक्सो मामलों से निपटने के लिए देश में स्थापित विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों (एफटीसी) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लंबित मामलों, निपटान दर, दोषसिद्धि दर आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयो का प्रदर्शन कैसा है और उनके प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्याय विभाग ने आपराधिक विधिक (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए 1023 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए अक्टूबर 2019 में केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। प्रारंभ में, यह स्कीम 1 वर्ष के लिए थी जिसे अब 971.70 करोड़ रुपए के केंद्रीय हिस्से के साथ 1,572.86 करोड़ रुपए 31.03.2023 तक जारी रखा गया है। । केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से मिलना है। देश में क्रियाशील एफटीएससी का राज्य-वार विवरण उपाबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : 28 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्र में 728 एफटीएससी कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने 30 जून, 2022 तक एक लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किए गए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के अनुसार, विशेष पोक्सो मामलों में से 17.64% दोषसिद्धि की रिपोर्ट की गई है। स्कीम के सुदृढ़ क्रियान्वयन के लिए इस विभाग ने मामलों के आंकड़ों की मासिक निगरानी के लिए तैयार किया गया एक ऑनलाइन निगरानी ढांचा तैयार किया है। एफटीएससी के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की दृष्टि से, उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों और राज्य के पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकें की जा रही हैं।

****

उपा**बंध**

देश में कार्यात्मक विशेष एफटीसी की संख्या (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार)

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2175 – में दिया गया उपाबंध

30/6/2022 तक

क्.स.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	**क्रियाशील एफटीसी की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	12
2	असम	17
3	बिहार	45
4	चंडीगढ़	01
5	छत्तीसगढ़	15
6	दिल्ली	16
7	गोवा	01
8	गुजरात	35
9	हरियाणा	16
10	हिमाचल प्रदेश	06
11	जम्मू-कश्मीर	04
12	झारखंड	22
13	कर्नाटक	25
14	केरल	28
15	मध्य प्रदेश	67
16	महाराष्ट्र	39
17	मणिपुर	02
18	मेघालय	05
19	मिजोरम	03
20	नागालैंड	01
21	उड़ीसा	36
22	पंजाब	12
23	राजस्थान	45
24	तमिलनाडु	14
25	तेलंगाना	36
26	त्रिपुरा	03
27	उत्तर प्रदेश	218
28	उत्तराखंड	04
कुल		**728**

****